

The Arms Rules, 1962

आद्युत्तर नियम, 1962

Contents विषयालय

Rule	Page	नियम
1. संशिक्षण नाम.	46	19. अन्यायुद्धों के अलावा आयुध
2. व्याख्या.	46	20. आयुधों या गोलाबारूद का विनाशण, परिवर्तन घटाना, मरम्मत, परीक्षण, विक्रय, इत्यादि
(क) "आधिनियम"	46	21. परिवर्तन, मरम्मत, परीक्षण, विक्रय, इत्यादि
(ख) "अपीलीय प्राधिकरण"	46	22. अन्यायुद्धों की शुफ़्फ़-जाच.
(ग) "प्राधिकारी" या "आधिकारी"	46	23. जिला मार्जिस्ट्रेट को सूचना भेजने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण।
(घ) "कम्पनी"	46	24. कलिप्य आयुधों और गोलाबारूद को विक्रय के लिए रखना या विक्रय.
(ङ) "डीलर"	46	25. अन्यायुद्धों पर पहचान चिन्ह-
(च) "जिला मर्जिस्ट्रेट"	46	26. आयुधों और गोलाबारूद में संचावहारों के अभिलेख
(छ) "प्रकृष्ट"	46	27. परिस्तर, स्फूर्त्य और अभिलेख का निरीक्षण.
(ज) "पोर्ट"	46	28. आयुधों या गोलाबारूद के पुनः आयात के लिए आयात या निर्यात पर प्रतिबन्ध
(झ) "अनुसूची"	46	29. समुद्र या हवा द्वारा आयात
(ञ) "धरा"	46	30. भारत के क्षेत्रीय पार्मी में प्रवाइट होने वाले जलयान
(ट) "उप-मण्डलीय मर्जिस्ट्रेट"	46	31. आयुधों और गोलाबारूद का भूमि या नदी द्वारा आयात
3. आयुधों और गोलाबारूदों का वर्गीकरण	47	32. सद्भावी पर्यटकों द्वारा भारत में आयुधों या गोलाबारूद लाना
4. लाइसेंसिंग प्राधिकरण और अनुबंधियों के प्रकृष्ट	47	33. नियंतों का
5. अपीलीय प्राधिकरण मामलों में अपीलीय प्राधिकरण को सम्मुचित किये जाने वाले कारण.	47	34. आयुधों और गोलाबारूद का भूमि या नदी द्वारा निर्यात
6. कलिप्य मामलों में अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश और नियवन.	47	35. समुद्र या हवा द्वारा आयुधों या गोलाबारूद का नियंत और उन: आयात
7. लाइसेंसिंग प्राधिकरियों को निर्देश और नियवन.	47	36. कलिप्य मामलों में सीमा-शुल्क आयुक्त को परिदर्शन किये जाने वाले आयुधों या गोलाबारूद
8. श्रेणी 1 के आयुधों या गोलाबारूदों के अर्जन, अधिकारण और परिवहन के लिए अनुबंधिय, प्रदान करने पर प्रातिवन्ध.	47	37. आयुधों और गोलाबारूद के परिवहन का वर्जन
9. कलिप्य प्राधिकरियों को श्रेणीयों 1 और 2 की अनुबंधियों की प्रतियों भेजा जाना	48	38. आयुधों या गोलाबारूद का परिवहन
10. उनके प्रयोग सहित कलिप्य प्रयोजनों के लिए आयुधों या गोलाबारूदों का आधिकारण	48	39. आयुधों और गोलाबारूद के आयात, परिवहन और पुनः नियंत के लिए अनुबंधिय
11. प्रतिवंशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिगोपित किया जा सकता	48	40. आयुधों और गोलाबारूद रखने वाले परेषणों की प्राधिकारियों द्वारा जाच
12. [x x x]	48	41. आयात/नियंत/परिवहन के लिए अनुबंधि की प्रतुति और परिदान
13. प्रतिधारकों का	48	49. याचा की (अस्थायी) अनुबंधि
14. फसलों और मवेशी के संरक्षण के लिए अनुबंधिय	49	50. आयुधों या गोलाबारूद रखने वाले परेषणों की प्राधिकारियों द्वारा जाच
15. लक्ष्य अन्यात के लिए अनुबंधि	49	51. आयात/नियंत/परिवहन के लिए आयुधिय की प्रतुति और परिदान
16. प्रशिक्षण और लक्ष्य अन्यात के लिए आयु-सीमा	49	52. आयुधों या गोलाबारूद का परिवहन
17. याचा की (अस्थायी) अनुबंधि	49	53. आयुधों और गोलाबारूद के लिए अनुबंधि
18. अधिनियम की धारा 4 का लागू होना	49	54. आयुधों और गोलाबारूद का परिवहन

(44)

Rule	Page	नियम	पृष्ठ
42. नेपाल सरकार या नेपाल रेश के लिए आयुधों या गोलाबारूद का आयात, परिवहन और नियंत	57	55. धारा 17(6) के अन्तर्गत अनुबंधि को नियन्त्रित या श्रात-संहारित करने के लाइसेंसिंग प्राधिकारी या एक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्रक्रिया	63
43. भारतीय क्षेत्र के जरिये नेपाल में किसी स्थान से नेपाल में किसी अन्य स्थान को आयुधों का परिवहन नहीं किया जाना वाली अनुबंधि	57	56. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुबंधि की जाने वाली प्रक्रिया	64
44. सदृगावी याचि नों के लिए पारगमित अनुबंधियाँ आयुधों और गोलाबारूद को अधिक्षमा में रखने की अनुबंधि	58	57. अनुबंधि के लिए देय फीस प्रतियों और इप्लीकेटों के लिए देय फीस	64
45. धारा 21 के अन्तर्गत आयुधों और गोलाबारूद को अधिक्षमा करना	58	58. अनुबंधि की गई अपील के लिए देय फीस याचिका पर देय फीस	65
46. धारा 21 के अन्तर्गत आयुधों और गोलाबारूद को अधिक्षमा करना	58	59. धारा 18(1) के अन्तर्गत की गई अपील के लिए याचिका पर देय फीस	65
47. धारा 21 के अन्तर्गत अन्यथा सुरक्षित अधिक्षमा के लिए आयुधों और गोलाबारूद को जमा करना	58	60. फीस का संग्रहण	65
48. जमा वस्तुओं के अधिलेख और विवरणिया	60	61. कलिप्य मामलों में रजिस्टरों इत्यादि को रखने के लिए डीलर	65
49. निरेक्षण	61	62. अनुबंधि की प्रतुति	65
50. कलिप्य मामलों में पूर्व महानीति	61	63. आयुधों की प्रतुति	66
51. अनुबंधि के लिए आवेदन	62	64. व्यावरिति	66
52. अनुबंधि का प्रस्तुप	62	65. अनुसूची I	66
53. अनुबंधियों की शर्तों का परिवर्तन	63	66. अनुसूची II	68
54. अनुबंधियों का नवीकरण	63	67. अनुसूची III	77
	☆ ☆ ☆ ☆	68. अनुसूची IV	128

नियम 9. कलिपय प्राधिकारियों को श्रेणी 1 और 2 की अनुज्ञापिता नियमित रूप से करता है, अनुज्ञापित में प्रविष्ट किया जायगा।

रेन के दूसरा वाद की तिथि के 12 मई को प्रत्येक अवधि के दौरान रख सकता है, अनुज्ञापित में प्रविष्ट किया जायगा।

भेजा जाना—
श्रेणी 1 (क), 1 (ख), 1 (ग) और 2 की प्रतियां भेजा जाना—
श्रेणी 1 (क), 1 (ख), 1 (ग) और 2 के आयुधों और गोला-बारूदों के लिए स्वीकृत प्रत्येक अनुज्ञापित प्रत्येक अनुज्ञापित की प्रति तुरत निम्नलिखित नियम 9. कलिपय प्राधिकारियों को श्रेणी 1 और 2 की अनुज्ञापिता नियमित रूप से करता है, अनुज्ञापित में प्रविष्ट किया जायगा।

(क) उस स्थान के जिला मणिरट्टैट को, जिसमें आयुधों या गोला-बारूदों को रखा जाना है, या

(क) दोड़ों या एथलेटिक्स मीटों के लिए नाटकीय अनुपालन, सिनेमाओंग्राफ प्रस्तुति या सिनेमालत करने के लिए आयुध;

(ख) मट्टगावी औद्योगिक, कृषि या औषधीय व्ययोजनों के लिए गोला-बारूद के अवयव।

नियम 11. प्रतिबंधों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा—(1) याज्ञ, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अनुसार होगी, एवं वाली कोई अनुरूपित किन्हीं प्रतिबंधों के अनुसार किया गया, के बाहर प्रभाव रखने वाली अधिरोपित किया जाये।

(2) जहाँ सम्बन्धित निला मरिजस्टेट द्वारा इस सामग्र्य से उसे विशेष स्वप्न से अधिकृत किया जाय, अद्युधों को नहीं ले अवृत किए हों आयुधों के अद्युधों को नहीं ले अवृत द्वारा अनुज्ञित होता है।

परन्तु अनुशासित करने से पहले उस रिपोर्ट को विचारित करेगा।
(3) आयुधों या गोलाबारूद के अधिकत्य और परिवहन के लिए प्ररूप 3-क में अनुशासित को लाइसेंसिंग आवश्यकता है। उसके लिए अनुशासित को प्रदान किया जा सकता है। अस्ति व्यक्ति के रूप में नामनिटिए व्यक्ति से मुक्ति व्यक्ति से अलग प्रतिधारक करने के लिए मुक्ति व्यक्ति से समाप्त होने से समाप्त होना चाहिए। उस दिन प्रवृत्ति को परन्तु अनुशासित द्वारा आयुधों या गोला-बारूद को प्रयुक्ति किया जायेगा, और अनुशासित को उस दिन प्रवृत्ति को पास कोई अधिकार नहीं होगा, या प्रतिधारक को छुट प्राप्त रूप में समाप्त किया जाये, या प्रतिधारक व्यक्ति को छुट प्राप्त करेगा और प्रतिधारक

परन्तु और लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रतिध्यारक के पूर्ववातया के बार में उसे स्वीकृत करने से पहले उस रिपोर्ट को विचारित करेगा।

नियम 14. फसलों और पबेशी के संरक्षण के लिए अनुज्ञापितयां—(1) जहाँ अनुज्ञापित प्रश्न 5 में प्रदान की जा रखी है अनुज्ञापितधारी को टरव़माल करने के लिए अनुज्ञापितधारी को किसी भी सदरया या फसलों या लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वाविवेक में, उसके कालीन वहाँ अनुज्ञापितधारी के परिवार के नियोजित सेवक या उसके साथ रहे किसी सेवक को, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के विरुद्ध फसलों या अनुज्ञापित द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में वरद्य जन्म करने के

आयुधा यो त्रिलोक का प्राप्ति शक्ति अन्तर्गत

जा सकता है यहां पर्याप्त विचारित करें कि किसी क्षेत्र

गोला-वाल्ड की आवश्यकता फूलों या मवेशी के लकड़ी के लिए होगा।

उस पर अनुशासितधारी उस अनुशासित की अनुपालन करने का एक दावा है।

नियम 15. लक्ष्य अस्याम के लिए अनुज्ञित—जहा प्रभप 6 म अनुज्ञान का कर्ता शार्तों की अनुपालना में मैस, वस्तव या संस्था के किसी अनुज्ञित को जाये, वहाँ अनुज्ञित करने के नाम से एकीकृत किया जाये, वहाँ अनुज्ञित होने के लिए उस मैस, वस्तव या संस्था को प्रयुक्त करने अनुज्ञित होगा आवृत अस्यायथ या गोला-वाखद

नियम 16. प्रशिक्षण और लक्ष्य अस्थान के लिए आयु-सीपा—सोलह वर्ष से कम आयु के, लौकिक वारह का उपरियति में या उनके मार्गदर्शक या अनुब्राप्तिधारी की वयस्क निटेशक को वयस्क अस्थान से कम आयु का नहीं, किसी भी व्यक्ति को अनुमति दिए जाएँगे।

और अधीक्षण के अन्तर्गत उस आन्यायुध के प्रयोग में प्राकृष्ण का विवाह के लिए विभिन्न के उपचारों को उस व्यक्ति, जो उस आन्याय के परिवहन के लिए किसी भी व्यक्ति को आयु के सोलह वर्ष से काम करने वाले चिर्तो अनुशासित की आवश्यकता वाले अनुशासित में अनुशासित लोक स्थाल में अनुशासित होता है।

प्रधानकर्त्ता के नियम—प्रधानकर्त्ता के प्रयोजनों के लिए, 'वदाक' में वह व्यक्ति अभिषेत है, जिसने इककीम वापों की आ

लिए प्रदान किया जा सकेगा।
लिए भारत में उसकी वाचा के स्थान के लिए किसी भी अधिक्तारिता रखने वाले जिला मणिर

नियम 18. अधिनियम की घारा 4 का लागू होना,—धारा 4 के अन्तर्गत कानून के सरकार द्वारा जारा आवश्यक था। आयुधों के उस क्षेत्र में विनियित किया जाये, आयुधों के उस अधिसंचयना में विनियित किया जाये, जिन्हें उस अनुच्छेदी के क्षेत्र में, उस श्रेणी या वर्णन के, जिन्हें उस अनुसूची में और अनुच्छेदी के लिए अनुचितों को उन शर्तों के अनुसार, जिन्हें उस अनुसूची में विनियित किया जाये।

नियम 19: आयाधीयों के अलावा आयुष—जब तक कि राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार अजन, आधिपत्य या पारवहन की ओर किया गया नवीनीकृत भी किया जा सकेगा। विनिर्दिष्ट किया जाये, अनुसूची 2 में प्रदान किये अनुसार प्रदान या नवीनीकृत भी किया जा सकेगा।

निर्देशित न करे, किसी भी अनुश्रूपि का आवश्यकता धारा 4 के अन्तर्गत आधिकारिक विवरण, विनिमय, विक्रय, अधिपत्य के लिए नहीं होगी।
के विक्रय या जांच के लिए विवरण या जांच का विनिमय, परिवर्तन घटाना, मरम्मत, परीक्षण, विक्रय, इत्यादि—

(i) शिक्षण विभाग के लाभान्तर परिवर्तन का अधिकार अस्ति त अपेक्षा अधिकारी को देखा जाएगा। अतः अपेक्षा अधिकारी का अधिकार अस्ति त अपेक्षा अधिकारी को देखा जाएगा।

(ii) अनुशोध द्वारा आरूप नहीं किए सब्यवाच या शाणयों या आयुक्तों या गोला-बास्ट को लोपित करेगा।

(2) अनुशासिधारी के व्यवसाय, उक्त कानून के स्थान का विवरण देय, जिस प्रदान प्रत्यक्ष अनुज्ञापन की प्रति उस निलग मानिजस्टर को वरन्त बड़ी जायेगी।

1) जहाँ एक अनुज्ञापन को अन्यत्रायुधों या गोला-

Table 21. *Alkaloids*

कराया जायेगा और भारतीय क्षेत्र में स्थान के रेलवे प्राधिकारियों को भी तुरन्त भेजी जायेगी, जिस स्थान के जरूर परेषण गुजरेगा;

(ख) यदि सड़क, या नदी द्वारा हो, तो अनुशासित की एक प्रति क्षेत्रों पर अधिकारित रखने वाले जिला मणिस्ट्रोट के तुरन्त भेजी जायेगी, जिन क्षेत्रों के जौरेय आयुधों या गोला-बारूद को भारत की सीमाओं से नेपाल पार करने की भारत की सीमाओं से नेपाल के लिए सुरक्षित भेजे जाने को विनायित करने के लिए किसी आदेश को दे सकते जायेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राजदूत इस नियम में उल्लेखित आयुधों या गोला-बारूद की भारत की सीमाओं से नेपाल के लिए सुरक्षित भेजे जाने को विनायित करने के लिए किसी आदेश को दे सकते हैं।

नियम 44. सद्भावी यात्रियों के लिए पारगमित अनुशासित—(1) जहाँ प्रलृप 22 के अनुशासित प्रदान के जाती है, वहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस प्रभाव के लिए पर्यटक के पासपोर्ट/वीसा को प्रेषित करेगा।

(2) प्रलृप 22 में प्रदान प्रत्यक्ष अनुशासित की एक प्रति राज्य सरकार के उस अधिकारी को तुरन्त भेजी जायेगी, जिसमें भारत से उसके रवाना होने का स्थान स्थित है, जिसे राज्य सरकार या संघ क्षेत्र के प्रशासक या स्थानापन्न-गवर्नर या मुख्य आयुक्त, जो भी स्थिति हो, द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त किया जाये।

(3) (क) अनुशासितधारी, जब भारत में हो, उस स्थान के, जहाँ वह विक्रय या अन्तरण प्रभावित होने वाला है लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी अनुशासित द्वारा अन्यथा या गोला-बारूद का विक्रय या अन्तरित नहीं करेगा। वह भारत को छोड़ते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकारी की स्वीकृता, या आयुधों या गोला-बारूद को प्रस्तुत करेगा, जो भी स्थिति हो, और पासपोर्ट जानेवाले वाले जिला मणिस्ट्रोट द्वारा सशक्त करेगा और पासपोर्ट पर या भारत से जाने के अन्य स्थान पर अपनी अनुशासित को लौटा देगा;

(ख) पासपोर्ट जानेवाला प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जिसे अनुशासितधारी द्वारा अनुशासित लौटायी जाती है, उस प्राधिकारी को, जिसने इसे जारी किया, इन टिप्पणियों के साथ इसे भेज देगा कि आयुधों या गोला-बारूद को छोड़ (क) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार सम्बन्धित प्राधिकारी की अनुमति से नियांतित या विक्रय या स्थानान्तरित किया गया।

नियम 45. आयुधों और गोला-बारूद को अधिकारी में रखने की अनुशासित—प्रलृप 14 में अनुशासितधारी आयुधों या गोला-बारूद की अभिरक्षा को सन्तुष्ट किये बिना स्वीकार, नहीं करें, कि जिला कर्ता या किसी व्यक्ति की तरफ से कोई देशपूर्ण आशय नहीं है, जिसकी तरफ से जमा कराया गया। डीलर या तो व्यक्तिगत रूप से नजदीकी पुलिस स्टेशन और जिला मणिस्ट्रोट लो सूचित करेगा, या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और जिला मणिस्ट्रोट के पंजीकृत डाक द्वारा उन आयुधों या गोला-बारूद की जमा या लौटाने या निपटाने के दिन, जो भी स्थिति हो, सूचना प्रेषित करेगा।

नियम 46. धारा 21 के अन्तर्गत आयुधों और गोला-बारूद को जमा कराना—(1) जब एक लाइसेंसिंग प्राधिकारी अनुशासित को नियांतित करने को नियांतित करता है, या इसे नवीनीकृत करने से मना करता है, तब यह, जब अनुशासित को लिखित में अपने नियम की संसूचना कर रहे हों, उसे सूचित करेगा कि—

(क) धारा 21 (1) के अन्तर्गत, उसे उस समय के भीतर, जिसे निलम्बित, प्रतिसंहरित करने के आदेश में या अनुशासित नवीनीकृत करने से मना करने के आदेश में विनायित किया जाये, अनुशासित द्वारा आवृत आयुधों या गोला-बारूद को या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या प्रलृप 14 में अनुशासित धारण करने वाले डीलर के पास जमा करने की अपेक्षा है, या यदि वह संघ के आयुध बलों का एक सदस्य हो, इकाई शास्त्रागार में;

(ख) धारा 21 (2) के परन्तुके अनुसार, उप-नियम (4) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के दौरान, वह या, उसकी मूल के मामले में, उसका विधिक प्रतिनिधि उसे रखने के आयुध बलों का एक सदस्य हो, इकाई विधिपूर्वक गोला-बारूद के विक्रय या अन्यथा निपटाने और विक्रय प्रतिफलों को शाप्त करने, यदि कोई हो, के लिए विधिपूर्वक हकदार है, और

(ग) यदि आयुधों या गोला-बारूद को निपटाया नहीं जाये, या अनुशासितधारी या उसके विधिक प्रतिनिधि, जो भी स्थिति हो, द्वारा उनका कब्जा निर्धारित अवधि के भीतर विधिपूर्ण नहीं हो, तो वे धारा 21 (3) के परन्तुके अनुसार जिला मणिस्ट्रोट के आदेश द्वारा सरकार को सम्पहरित किये जायेंगे।

(2) जहाँ किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागार में या प्रलृप 14 में अनुशासित धारण करने वाले डीलर के पास धारा 21 (1) के अन्तर्गत मालिक द्वारा जमा कराया जाता है, तो पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागार का प्रभारी-अधिकारी या अनुशासित प्राप्त डीलर, जो भी स्थिति हो,—

(क) जमा करायी प्रत्येक वस्तु पर निम्नलिखित दरशति हुए एक कार्ड लगायेगा—

धारा 21 (1) के अन्तर्गत जमा—

(i) वस्तु का बर्णन (नं. इत्यादि)

(ii) हूट की अनुशासित की विशिष्टिया (यदि कोई हो)

(iii) जमाकर्ता का नाम और पता

(iv) रजिस्टर में क्रम सं. और जमा की तिथि

(v) सम्पर्क/निपटारे के लिए देय तिथि

(vi) (जमाकर्ता के हस्ताक्षर)

(vii) डीलर या/पुलिस स्टेशन/इकाई शास्त्रागार के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

(viii) डीलर या/पुलिस स्टेशन/इकाई शास्त्रागार के प्रभारी अधिकारी को रसीद की

(ix) जमाकर्ता को (क) के अनुसार वर्णनों को रखते हुए रसीद जारी करेगा; और (ग) उस प्राधिकारी को रसीद की एक प्रति तुरन्त भेजेगा, जिसने अनुशासित प्रदान की या अन्त में इसे नवीनीकृत किया।

(x) (क) (i) धारा 21(1) के अन्तर्गत इकाई शास्त्रागार में जमा किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को, जब तक कि लौटाया न जाये या पूर्व में नियांता न जाये, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा के प्रश्नात् 30 दिनों की अवधि के समाप्ति के पश्चात् अन्तरित किया जा सकेगा।

(xi) धारा 21 (1) के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में जमा किन्हीं आयुधों या गोला-बारूदों को, जिन्हें जमा के 30 दिनों के भीतर लौटाया या नियांता नहीं गया, और खण्ड (i) के अन्तर्गत अन्तरित किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को उत्तम रख-रखाव की सुविधा या सुरक्षा के लिए जिला/लाइसेंसिंग पुलिस शास्त्रागार को या उस अन्य उत्तम रख-रखाव के लिए जिला प्रशिक्षण द्वारा विनायित किया जाये, उन निर्देशों की अनुपालन के लिए गर्ज सरकार द्वारा जारी किया जा सकेगा।

(xii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में जमा किन्हीं आयुधों या गोला-बारूदों को अवधि की उस अवधि को लौटाया नहीं गया तो जमा कराया गया हो, अनुशासित किया जाता है।

(xiii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत लौटाया नहीं गया हो, अनुशासित को प्रदान की जायेगी, जिसने वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित अन्तरित किया जायेगा।

(xiv) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xv) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xvi) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xvii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xviii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xix) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xx) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxi) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxiii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxiv) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxv) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxvi) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxvii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxviii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxix) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxx) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxxi) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्रदान की जायेगी, जिसके बाद वस्तु के अन्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(xxxii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्तरित को प्र

पर्वत और—

- (i) जब आयुधों या गोला-बारूद को उस व्यक्ति द्वारा अपनाया गया हो, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किसी कारण के लिए आयुधों या गोला-बारूद के परिवहन के लिए तत्समय असशम रूप में विचारित किया गया, या किसी अन्य उपयुक्त मामले में, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस समिशनर, किसी महानगरीय क्षेत्र के संबंध में, खण्ड (क)
- (ख) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि को छः महीनों तक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है; और
- (ii) राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा छः महीनों से अधिक अवधि को बढ़ा सकता है:
- परन्तु और जब आयुध या गोला-बारूद को उस व्यक्ति द्वारा अपनाया गया, जिसे किसी कारण के लिए आयुधों या गोला-बारूद के परिवहन के लिए तत्समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा असशम रूप में विचारित किया गया, खण्ड (क) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि को उचितता से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, या पुलिस कमिशनर द्वारा, किसी महानगरीय क्षेत्र के संबंध में, बढ़ाया जा सकेगा।

(1) दो वर्ष, यदि अन्यायुधों को धारा 3 की उप-धारा (2) के परन्तुके परिणामस्वरूप जमा कराया जाता है।

(5) (क) उप-नियम (4) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले न लौटाये या न निपटाये किसी आयुध या गोला-बारूद को अधिसूचित किया जायेगा; और उप-नियम (4) के परन्तुकों और धारा 21 (3) के परन्तुके अन्याय परन्तुके अनुसार, धारा 21 (3) के अन्तर्गत समझौता या उस अन्य स्थान की अन्तर्गत नियम अनुसार समझौता के लिए जिला मालाखाना या उस अन्य स्थान की अन्तर्गत नियम अनुसार समझौता के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा अपेक्षित हो।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् समझौता के आदेश को करने से पहले, उस तर्जके धारा 21 (4) के अन्याय परिवहन के लिए अनुसार सूचना की जायेगी यद्यपि धारा 21 (4) के अन्तर्गत समनों की ताकिती के लिए है:

1898 (1898 का सं. 5) के अन्तर्गत समनों की ताकिती के लिए है:

परन्तु संघ के आयुध बलों के सदस्य के रूप में जमाकर्ता के होने के मामले में, सूचना उस सदस्य के कमान्डिंग अधिकारी के जरिये व्यक्तिगत रूप से तामील की जायेगी।

(6) जमा वस्तुओं को अच्छी स्थिति में रखने के लिए प्रभारों को उन दरों पर लगाया जा सकेगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

नियम 47. धारा 21 के अन्तर्गत अन्यथा सुरक्षित अभियान के लिए आयुधों और गोला-बारूद और जिला मालाखाने करना—(1) (क) आयुधों या गोला-बारूद को विधिपूर्वक रखने वाला व्यक्ति सुरक्षित अभियान के लिए उसे प्रबूप 14 में अनुशासि धरण करने वाले डीलर के पास या पुलिस स्टेशन में, या यदि वह संघ के आयुध बलों का सदस्य हो, तो इकाई शास्त्रागर में जमा करा सकता है;

(ख) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्यथा जमा के लिए आयुधों या गोला-बारूद को स्वीकृत करने से पहले, डीलर या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या इकाई शास्त्रागर स्वयं को सन्तुष्ट कराए कि उनका कल्पा अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत जारी मान्य अनुशासि के अन्तर्गत या उस अनुशासि के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(ग) संघ के आयुध बलों के सदस्यों को केवल उनकी सेवा के कार्यकाल के दौरान इकाई शास्त्रागर में सुरक्षित अभियान में उनके आयुधों या गोला-बारूद को रखने के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) जहाँ आयुधों या गोला-बारूद को उप-नियम (1) के अन्तर्गत जमा कराया गया, वहाँ डीलर या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या इकाई शास्त्रागर—

(क) जमा की गयी प्रयोक्त वस्तु के साथ धारा 46 (2) (क) में वर्णित उससे आसानी से अलग करने योग्य नियमालिखित हों;

(ख) वस्तु की गयी वस्तु को उस स्थान पर रखने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो एवं ग्रहण करने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(ग) वस्तु की गयी वस्तु को उस स्थान पर रखने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(घ) वस्तु की गयी वस्तु को उस स्थान पर रखने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(ज) वस्तु की गयी वस्तु को उस स्थान पर रखने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(क) वस्तु की गयी वस्तु को उस स्थान पर रखने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(ख) वस्तु की गयी वस्तु को उस स्थान पर रखने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(द) वस्तु की गयी वस्तु को उस स्थान पर रखने के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत हो;

(जमाकर्ता के हस्ताक्षर)

(vii).

(viii).

डीलर या पुलिस स्टेशन/इकाई शास्त्रागर के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

(ख) खण्ड (क) ने अनुसार सभी विशिष्टियों को देते हुए एक रसीद जमाकर्ता को जारी करना; और

(ग) उसी दिन, उस प्राधिकारी को रसीद की एक भूति भेजना, जिसने अनुशासि प्रदान की या अन्त में नवीनीकृत किया।

(3)(क) अनुशासि को नवीनीकृत करने से असफलता की अवस्था में, आयुध या गोला-बारूद की लगातार रूप से प्रबूप 14 में उसकी अनुशासि के प्राधिकारी पर डीलर द्वारा या पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागर के प्राधारी अधिकारी के लिए नवीनीकृत कृति के लिए तत्समय स्थान या इकाई शास्त्रागर का प्रभारी अधिकारी इसे उस कार्यालय के लिए नवीनीकृत कृति के लिए फीस ली जा सकेगी।

(ख) वस्तुओं को किसी भी मामले में मालिक को तब तक नहीं लौटाया जायेगा, जब तक कि उनको रखने के लिए अनुशासि को नवीनीकृत नहीं किया जाता या नयी अनुशासि को प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

(4) जमाकर्ता से निम्नलिखित दरों पर जमा की गई वस्तुओं की अभियान के लिये फीस ली जा सकेगी—

1. प्रत्येक आयुध के लिए—प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए पचास रुपये

2. प्रत्येक अन्य हथियार या गोला-बारूद के पैकेज के लिए—प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए रु. 25 अच्छी स्थिति में वस्तुओं के रख-तत्त्वावधि के लिए किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों को उन दरों पर लगाया जा सकेगा, जिन्हें ग्राज सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

नियम 47. जमा वस्तुओं के अपलेख और विवरणियां—(1) डीलर या पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागर का प्रभारी अधिकारी उन रजिस्टरों को रखेगा, जिन्हें केवल दराग निर्धारित किया जाये।

(3) अनुशासि प्राप्त डीलर या पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागर या नियम 46 (3) (क) (ii) के अन्तर्गत किसी अन्य स्थान का प्रभारी अधिकारी, जहाँ आयुधों या गोला-बारूद को रखा जाता है, प्रत्येक वर्ष की 15 दिसंबर तक जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अभियान में आयुधों या गोला-बारूद की विशिष्टियों को दरशाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो उस वर्ष की समाप्ति तक समाप्त हरित किये जाने की दर्याँ है या दर्या होगी।

नियम 48. जमा वस्तुओं के अपलेख और विवरणियां—(1) डीलर या पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागर का प्रभारी अधिकारी उन रजिस्टरों को रखेगा, जिन्हें केवल दराग नि�र्धारित किया जाये।

(3) अनुशासि प्राप्त डीलर या पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागर या नियम 46 (3) (क) (ii) के अन्तर्गत किसी अन्य स्थान का प्रभारी अधिकारी, जहाँ आयुधों या गोला-बारूद को रखा जाता है, प्रत्येक वर्ष की 15 दिसंबर तक जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अभियान में आयुधों या गोला-बारूद द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी को उस वर्ष की समाप्ति तक समपरिहरित किये जाने की दर्याँ है या दर्या होगी।

नियम 49. निरीक्षण—(1) पुलिस स्टेशन या इकाई शास्त्रागर द्वारा या अन्यांश के लिए रजिस्टर के अन्तर्गत अन्यांश और प्रयोजन के लिए रजिस्टर का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस स्थान पर नियुक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी को उस समयकाल दराग नियरितर किया जायेगा।

(2) इकाई शास्त्रागर में जमा आयुधों और गोला-बारूद और जिला मालाखाने को उन रजिस्टर के अन्तर्गत अन्यांश और प्रयोजन के लिए रजिस्टर का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस स्थान पर नियरित किया जायेगा।

(3) इकाई शास्त्रागर में जमा आयुधों और गोला-बारूद की अनुपालना में जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियरित किया जायेगा, जहाँ इकाई शास्त्रागर की अन्यांश को उनके अन्तर्गत अनुपालन की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी को उस समयकाल दराग नियरित किया जायेगा।

(i) उस क्षेत्र पर, जिसमें वह स्थान स्थित है, अधिकारित रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से; या

(ii) जमू और करमीर राज्य की सरकार से, यहि वह स्थान उस राज्य में है; या

(iii) सचिव, साधारण प्रशासन विभाग, पाइयरेस सरक